ORDER - SHEET ......JUDICIAL MAGISTRATE FIRST CIASS Case No. 8 6/10120 011 Order or Proceeding with Signature of Presiding Officer | Signature of Jer III Parties of acceding pleaders where Necessary आज आरक्षी केन्द्र..... के उपनिशिक्षक / सहायक। कं जारक्षक / प्रधान आरक्षक / आरक्षक जार से अपराध क0..... अंतर्गत धारा.... : भाठदाठरां० / ...... 34 .... अधिनियमके अधीन दण्डनीय अपराध के संबंध में अभियुक्त/अभियुक्तगण के विरूद्ध अभियोग पत्र / परिवाद पत्र प्रस्तुत किया गया। राज्य द्वारा ए०डी०पी०ओ० श्री.... अभियुक्त / अभियुक्तगण. डिंगिलीरव डी० भूगरीका तण २०

अभियुक्त / अभियुक्तगण निवासीगण प्र इटाई क्या हिन्स थाना एड हिन्स जिला कि सहस कि अधिवनता

शी इारा मेमोरेण्डम/वकालतनामा प्रस्तुत

अभियोग पत्र/परिवाद पत्र समयावधि के भीतर प्रस्तुत किया गया

प्रकरण में संज्ञान के विषय पर विचार किया गया। अभियोग पत्र / परिवाद पत्र व प्रस्तुत दस्तावेज के अवलोकन से प्रथम दृष्ट्या अभियुक्त / अभियुक्त गण के विरुद्ध उपरोक्तानुसार अभियुक्त । अतः अभियुक्त / अभियुक्त गण के विरुद्ध धारा अधान का यवाहा किये जाने के अधान प्रकट हो रहे हैं। अतः अभियुक्त / अभियुक्त गण के विरुद्ध धारा 190-(1) द०प्र०२० के अधीन संज्ञान लिये जाने का आदेश कियः जाता है।

प्रकरण का पंजीयन आपराधिक पंजी.... 26 17 में दर्ज

अभियुक्त / अभियुक्तगण द०प्र०स० की धारा २०७ के अधीन प्रावधानों के प्रकाश में अभियोग पत्र एवं दस्तावेजों की पठनीय प्रति निःशुल्क दिलायी जाये।

चूंकि अपराध जमानती प्रकृति का है। अतः अभियुक्त / अभियुक्तगण। की ओर से 7000 / — (सात हजार रूपये) की प्रतिभूति व इतनी ही राशि। का व्यक्तिगत बंधपत्र प्रस्तुत किया जाये तो अभियुक्त को अभिरक्षा से मुक्त। किया जाये।

3/200

व्यक्त मामला संक्षिप्त विचारणीय है। अत संक्षिप्त विचारण प्रारम किया गया। अभियुक्त / अभियुक्त गण के विरुद्ध भागविष्ठ । भागविष्ठ श्री विशिष्टियां विर्वित कर अभियुक्त को पढ़कर सुनाये और समझाये जाने पर अभियुक्त ने अपराध करना स्वेच्छया स्वीकार किया। अतः अभियाक् यथा समव उसके शब्दों में लेखबद्ध किया गया।

निर्णय की निःशुल्क प्रति अगियुक्त को प्रदान कर पावती ली

। जाये।

जप्तसुदा संपत्ति अविकार किये ग्रामान किये जाये। संपत्ति अविकार किया में याहन उसके स्वामी व्ययनित की जाये। जप्तसुदा वाहन की दशा में याहन उसके स्वामी को लौटाया, जाये। सुपुर्दगी की दशा में सुपुर्दगीनामा निरस्त किया जाता है तथा अपील की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशों का पालन हो।

प्रकरण का परिणाम आपराधिक पंजी में पंजीबद्ध कर विहित अविध में अभिलेख संचयन हेतु आवश्यक प्रतिपूर्ति उपरांत अभिलेखागार प्रेपित किया जागे।

> Judicial magistrate first chass, Cohad Dist Bhind (M.P)

प्नश्च

निर्णयानुसार अभियुक्त / अभियुक्त गण ने अर्थदण्ड की राशि।

[क0. 6.902 स्सीद क0. 17. रो गई।

अभियुक्त / अभियुक्तगण को राजा भुगताई गई।

प्रकरणं उपरोक्त निर्देश अनुसार संचित हो।

Judicial magistrated M.P.

उगाल